WEB COPY NOT OFFICIAL

न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला (राज.)।

पीठासीन अधिकारी : महेन्द्र कुमार टॉक,
आर.जे.एस.
(UID No. RJ 865)

दीवानी वि.प्र.सं. : 72/2026
सी.आई.एस. संख्या : 72/2026
सी.एन.आर. नंबर : RJJR 030000862026

प्रार्थी/(Secured Creditor) :–

हिन्दुजा हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता दिलीप सिंह यादव पुत्र श्री हरिमोहन यादव, ए – 224, डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नेहरू नगर, जयपुर पता– कार्यालय–द्वितीय तल 212,213,214 एवरसाइन टॉवर, एफ–1, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर ,जयपुर –302021 रजि0 पता–27 ए, डवलप्ड इंडस्ट्रीयल एस्अेट, गुईन्डी, चेन्नई–600032।

बनाम

अप्रार्थीगण/(Borrowers) :–

01. अशोक गहलोत (ऋणी) पुत्र श्री सांवलराम,

02. श्रीमती विद्या देवी (सहऋणी) पत्नि श्री अशोक गहलोत, निवासीगण–पता मालियों की ढाणी, मालावस, जिला–जोधपुर राजस्थान 342601 अन्य पता–प्लॉट नंबर 3 व 4 खसरा नंबर 2847/1661व 2646/1661 पीपाड सिटी जिला जोधपुर राजस्थान 342601।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थितिः–

01. श्री दिलीप चौहान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी।

–:: आदेश ::–

WEB COPY NOT OFFICIAL

दिनांक 22.07.2026

01. प्रार्थी बैंक/लेनदार की ओर से प्राधिकृत अधिकारी विनय पुत्र भाम ोर सिंह द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (**SARFAESI Act**) में प्रस्तुत करते हुए प्रतिभूत परिसम्पति (**Secured Assests**) का कब्जा सुपुर्द करवाने का प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 03. में वर्णित में निम्नानुसार प्रतिभूत परिसम्पति (**Secured Assests**) वर्णित की गई :–

<u>प्रतिभूत परिसम्पति का विवरण :–</u>

कृषि प्लॉट नंबर 3 व 4 खसरा नंबर 2847/1661 व 2646/1661 पीपाड सिटी तहसील पीपाड़ सिटी जिला जोधपुर राजस्थान 342601 में स्थित है, का कुल क्षेत्रफल 2178 वर्गफीट है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है, की चर्तुसीमाये निम्नानुसार है – पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में गली, उत्तर में गली, दक्षिण में गली है।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ प्राधिकृत अधिकारी का अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14(1)(b)(i) से 14(1)(b) (ix) के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका निस्तारण इस आदेश माध्यम से किया जा रहा हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर मु.दी. किया जावें।

02. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित किया कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी/ऋणी को राशि 26,50,000/– का प्रतिभूत परिसम्पति (**Secured Assests**) पर ऋण दिनांक 29.08.2022 को स्वीकृत किया गया था। जिस पर अप्रार्थी/ऋणी द्वारा अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किए गए। निष्पादित दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। प्रतिभूत परिसम्पति का उल्लेख करते हुए परिसम्पति इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अवस्थित हैं। प्रार्थी का ऋण खाता गैर निष्पादनीय आस्ति के रूप में वगीकृत जाना प्रकट हैं। ऋणी द्वारा ऋण भुगतान में व्यतिक्रम किए जाने से धारा 13(2) **SARFAESI Act** के अंतर्गत अप्रार्थी द्वारा लिए

WEB COPY NOT OFFICIAL

गए ऋण को अदा करने हेतु प्रार्थी की ओर से अप्रार्थी को नोटिस दिनांक 11.11.2025 दिया गया है। जिस बाबत् नोटिस व पोस्टल रसीदों की फोटो प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई। उक्त नोटिस की तामील के 60 दिवस तक भी अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को ऋण का भुगतान नहीं किया है। प्रार्थी धारा 13(4) **SARFAESI Act** के प्रावधानानुसार प्रतिभूत परिसम्पति का कब्जा लेने का हकदार हैं। विधिनुसार अप्रार्थी को हस्तगत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा पृथक से नोटिस जारी किया जाना अपेक्षित नहीं। प्राधिकृत अधिकारी की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ ही धारा 14(1)(b)(i) से 14(1)(b) (ix) **SARFAESI Act** के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में धारा 14(1)(b)(i) से 14(1)(b) (ix) **SARFAESI Act** की पालना किया जाना प्रकट हैं। ऐसी दशा में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रतिभूत परिसम्पति (**Secured Assests**) का कब्जा लेने के सम्बन्ध में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

—:: आदेश ::—

04. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी/बैंक के प्राधिकृत अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 **SARFAESI Act** का निम्नानुसार स्वीकार किया जाता हैं :—

01. कि प्रार्थी बैंक की ओर से हस्तगत प्रार्थना पत्र के प्राधिकृत अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव को प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 03 में वर्णित प्रतिभूत परिसम्पति (**Secured Assests**) का कब्जा लेने की अनुमति प्रदान की जाती हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार हैं :—

कृषि प्लॉट नंबर 3 व 4 खसरा नंबर 2847/1661 व 2646/1661 पीपाड सिटी तहसील पीपाड़ सिटी जिला जोधपुर

WEB COPY NOT OFFICIAL

राजस्थान 342601 में स्थित है, का कुल क्षेत्रफल 2178 वर्गफीट है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है, की चर्तुसीमाये निम्नानुसार है – पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में गली, उत्तर में गली, दक्षिण में गली है।

02. कि प्रार्थना पत्र में वर्णित परिसम्पति जिला पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण जोधपुर जिला को आदेशित किया जाता हैं कि उपरोक्त वर्णित प्रतिभूत परिसम्पति (**Secured Assests**) के कब्जा लेने सम्बन्धित कार्यवाही में समुचित पुलिस सहायता आवश्यक रूप से उपलब्ध कराए। प्राधिकृत अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव पुत्र श्री हरिमोहन यादव, ए – 224, डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नेहरू नगर, जयपुर को ही प्रतिभूत परिसम्पति (**Secured Assests**)का कब्जा प्रदान किया जावें।

(महेन्द्र कुमार टॉक)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला।

05. आदेश आज दिनांक 22.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं अभिघोषित किया गया।

(महेन्द्र कुमार टॉक)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला।